प्रेस को सूचना टिप्पण (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 31/2021)

तुरंत जारी किया जाए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

''भादूविप्रा, प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए अंतर्संयोजन विनियम, 2017 में संशोधन जारी करता है''

नई दिल्ली, 11 जून, 2021- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई, अथवा प्राधिकरण), ने विधिवत् परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् दिनांक 03 मार्च, 2017 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा प्रकाशित किया, जो कि डीएएस के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र को इसके लाभों का एहसास करने में सक्षम बनाता है। इस ढांचे में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (जिन्हें आगे "अंतर्संयोजन विनियम, 2017 कहा जाएगा"), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 शामिल हैं। यह विनियामक ढांचा दिनांक 29 दिसंबर, 2018 से लागू हुआ।

2. तथापि, नए विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन के बाद भी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम), 1995 के माध्यम से यथा अधिसूचित एन्क्रिप्टेड विषयवस्तु के पारेषण संबंधी विनिर्दिष्टताओं के बावजूद, प्राधिकरण को विभिन्न प्रसारकों और डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉरम ऑपरेटर (डीपीओ) से नियमित आधार पर सिग्नलों के अनधिकृत वितरण के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं । कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) प्रदाताओं से सहायता से जुड़े मुद्दों, सब्सक्रिप्शन को कम करके बताने से संबंधित मुद्दों पर भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मौजूदा उपबंधों में उपर्युक्त एनक्रिप्शन सुरक्षा तथा अनुपालन प्रणाली के लिए सीएएस/

एसएमएस हेतु कोई भी विहित न्यूनतम बैंचमार्क/ मानदंड नहीं हैं। अवमानक सीएएस तथा एसएमएस से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैकिंग तथा विषयवस्तु की चोरी का शिकार हो सकता है।

3. इसके अलावा, प्राधिकरण ने कुछ मामलों में यह भी पाया कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर उनके सीएएस तथा एसएमएस प्रणालियों की बाध्यताओं के कारण विहित समय के भीतर नए विनियामक ढांचे का अनुपालन करने में सक्षम नहीं हो पाए।

4. इन मुद्दों के समाधान करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन हेतु ढांचा'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र में अवमानक सीएएस और एसएमएस प्रणालियों को लगाए जाने और सिग्नलों के अनधिकृत संवितरण/पायरेसी से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे। इसकी प्रतिक्रिया में, प्राधिकरण को सभी क्षेत्रों के 36 हितधारकों जैसे प्रसारकों, वितरकों, सीएएस और एसएमएस विक्रेताओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उद्योग से जुड़े प्रेक्षकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं । बाद में, दिनांक 25 जून, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श पत्र पर खुला मंच चर्चा (ओपन हाउस डिस्कशन) का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के हितधारकों का विस्तृत प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 220 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5. प्राधिकरण ने परामर्श प्रक्रिया में प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया। इस मामले के तकनीकी स्वरूप को देखते हुए, प्राधिकरण ने एक समिति बनाने का निर्णय लिया जिसमें सीएएस और एसएमएस प्रदाताओं, डारेक्ट-टू-हॉम (डीटीएच) ऑपरेटरों, मल्टि-सिस्टम-ऑपरेटर (एमएसओ), प्रसारकों, विशेषज्ञ निकायों और टेलिकॉम इंजिनियरिंग सेंटर (टीईसी), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण निदेशालय (एसटीक्यूसी), प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक),

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर जैसे संगठनों के सदस्यों को शामिल किया गया ताकि टिप्पणियों और सुझावों की जांच की जा सके और एक अनुकूल ढांचे के लिए अपनी सिफारिशें दी जा सके जो परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों का समाधान करती है । समिति ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद, मानकों के बेहतर अनुरूपता सुनिश्चित करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सीएएस और एसएमएस के लिए परीक्षण और प्रमाणन व्यवस्था शुरू करने की सिफारिश की। समिति ने उक्त ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र की भी सिफारिश की।

6. 'लाइट टच' विनियमन तथा न्यूनतम आवश्यकताओं को बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ समिति की सिफारिशों की आगे प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की गई। इसे आगे बढ़ाते हुए, प्राधिकरण ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (वर्ष 2021 का 1) जारी किया, जो सीएएस और एसएमएस के तकनीकी अनुपालन के लिए एक ढांचे का उपबंध करता है । उक्त ढांचे को अंतर्संयोजन विनियम, 2017 में अनुसूची IX के रूप में शामिल किया गया है।

7. ढांचे का संचालन और निरीक्षण एक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, जिसे बाद में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

8. इस ढांचे से टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के साथ-साथ उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होने की आशा है । इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे दिए गए हैं:

i. ढ़ांचा, अंतरराष्ट्रीय मानकों की तर्ज पर विशिष्टताओं के स्वदेशी सेट को परिभाषित करने की दिशा में पहला कदम है।

ii. ढ़ांचे के द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीएएस और एसएमएस को एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल से चलाने से उपभोक्ता आधार आदि की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग संभव होगी। इससे गलत सब्सक्रिप्शन की रिपोर्टिंग के कारण हितधारकों को होने वाली राजस्व हानि में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप, यह देय राजस्व के बेहतर आश्वासन से हितधारकों को विषयवस्तु और सेवा की गुणवत्ता में और सुधार के लिए निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करेगा जिससे अंतिम उपभोक्ता को लाभ अपेक्षित है ।

iii. इस ढ़ांचे से वितरण तंत्र में विषयवस्तु की बेहतर सुरक्षा होगी। इसके परिणामस्वरूप, वैश्विक विषयवस्तु विकास करने वाले समुदाय को भरोसा मिलेगा और इससे भारतीय टेलीविजन के दर्शकों के लिए बेहतर गुणवत्तायुक्त, हाई डेफीनिशन वाली विषयवस्तु की उपलब्धता बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

iv. इस ढांचे से 'आदि से अंत' अनुपालन में सुधार होगा और सेवा प्रदाताओं के बीच मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

9. संशोधनों का पूर्ण पाठ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर उपलब्ध है।

10. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, कृपया श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवा) से दूरभाष नम्बर +91-11-23237922 अथवा ई-मेल आईडी **advbcs-2@trai.gov.in** पर संपर्क करें।

(रजीव सिन्हा) 11/06/2021
सचिव प्रभारी, भादूविप्रा
दूरभाष: 23237448